

467737748
1 877

SPEED/REGD. POST

GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FINANCE
DIRECTORATE OF AUDIT AND PENSION
NAHARLAGUN.

NO:-DAP/PEN/26/2010

To,

5222-93

Dated 06 MAR 2018

[Handwritten signature]

The Accountant General (A&E),
Andhra Pradesh & Telengana,
Saifabad, Hyderabad - 500004.

Sub: - The clarification of the date effect of the additional quantum of Pension/ Family Pension regarding.

Sir,

Enclosed please find herewith a copy of the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension, Department of Pension & Pensioner's welfare, order No. F.No.38/37/08-p & P.W(A) Pt-7, dated-11/08/2009 duly enclosed with SSA regarding the clarification of the date of effective of the additional quantum of Pension/ Family Pension on attaining the age of 80 yrs. and above.

It is requested to forward the same to the Pension Disbursing Authority i.e., Treasury Officers/ Nationalised Banks authorized for payment of Pension under your jurisdiction with an advice for payment to eligible Pensioners/ Family Pensioners of the Govt. of Arunachal Pradesh as soon as it becomes due.

PM-OG TS

Yours faithfully,

Encl: As stated

Office of the P.A. Accountant General (A&E)
INWARD
02 APR 2018
NO:
Telangana

[Handwritten signature]
6/3/18

Director of Audit & Pension cum
Ex-Officio, Dy. Secy(Finance)
Govt. of Arunachal Pradesh,
Naharlagun.
Dated.....

506749



[Handwritten signature]
6/3/18

4
2
1
3

O/o Prt. Accountant General (A&E)
AC

संख्या-38/37/2008-पीएंडपीडब्ल्यू(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली

दिनांक : 11 अगस्त, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन - वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन ।

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 21.5.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान किया गया था कि निम्नलिखित दस्तावेज, 80 वर्ष और उससे ऊपर आयु होने पर अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के भुगतान के लिए जन्म/आयु प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे:-

- (i) पैन कार्ड
- (ii) मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र (जिसमें जन्म-तिथि की सूचना दी गई हो)
- (iii) पासपोर्ट
- (iv) सीजीएचएस कार्ड
- (v) ड्राइविंग लाइसेंस (यदि इसमें जन्म-तिथि दी गई हो)

2. मामले की और आगे जांच-पड़ताल की गई है । वृद्ध पेंशनभोगियों द्वारा विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों द्वारा आयु के प्रमाण के रूप में उपर्युक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कठिनाई को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु हो जाने पर जन्म-तिथि/आयु प्रमाणपत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र को भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जा सकता है:-

- (i) यदि पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी यह प्रमाणित करे कि वह मैट्रिकुलेट नहीं है (मैट्रिकुलेट पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के मामले में मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया जाना चाहिए ।
- (ii) यदि, पेंशनभोगी यह प्रमाणित करे कि उसके पास उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित कोई भी दस्तावेज नहीं है ।


3. दस्तावेज़ स्वीकार करने की अन्य शर्तें जो दिनांक 21.5.2009 के का.जा. में उल्लिखित हैं, यथावत् रहेंगी ।

4. इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे संदेह व्यक्त किए गए हैं कि अतिरिक्त पेंशन को किस तारीख से प्रभावी बनाया जाए इस सम्बन्ध में इस विभाग के दिनांक 3.10.2008 के समसंख्यक का.जा. द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । यह दोहराया जाता है कि 80 वर्ष, 85 वर्ष आदि की आयु पूरी होने पर (और न कि 80वां वर्ष, 85वां वर्ष आदि के शुरू होने पर पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की अतिरिक्त धनराशि उस मास की पहली तारीख से अनुज्ञेय होगी जिस मास में उसकी जन्म-तिथि पड़ती है । तदनुसार, इस सम्बन्ध में प्राप्त सभी पत्र/अभ्यावेदन का निपटान कर दिया गया माना जाए ।

उदाहरण यदि किसी पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी की जन्म-तिथि 26.01.1930 है तो वह 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर अर्थात् 1.1.2010 से पेंशन की अतिरिक्त धनराशि पाने के लिए पात्र होगा ।

5. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से यह आग्रह किया जाता है कि वे अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के भुगतान से सम्बन्धित मामलों का निपटान करते समय उपर्युक्त अनुदेशों को ध्यान में रखें । सीजीए/सीपीएओ से यह अनुरोध है कि वे सभी पेंशन संवितरण/अनुमोदन करने वाले प्राधिकारियों को उपर्युक्त अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाई करने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में जन्म-तिथि के सम्बन्ध में उपयुक्त टिप्पणी दर्ज करने की सलाह दें । तदनुसार, रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा भी अपने सम्बन्धित लेखा विभागों को इसी प्रकार अनुदेश जारी किए जाएं ।

9. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 9.7.2009 के आईसी यूओ सं. 261/ई.V/2009 के तहत उनके परामर्श से जारी किया जाता है ।


(एम.पी. सिंह)

निदेशक

टैलेक्स: 24624802.

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. मानक डाक सूची के अनुसार ।